

(दो प्रतियों में भरा जाए)

आवास और दूरभाष सुविधा (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथासंशोधित) के  
अन्तर्गत संसद सदस्य के निवास में इन्टरनेट-कनेक्शन के प्रयोजनार्थ  
तृतीय टेलीफोन कनेक्शन हेतु आवेदन

दिनांक: \_\_\_\_\_

प्रेषक:

\_\_\_\_\_, संसद सदस्य  
(नाम स्पष्ट अक्षरों में)

सेवा में

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक  
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/  
भारत संचार निगम लिमिटेड  
नई दिल्ली

अध्यक्ष, आवास समिति, राज्य सभा के माध्यम से

महोदय,

कृपया आवास और दूरभाष सुविधा (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथासंशोधित), के अंतर्गत निम्नांकित विवरण के अनुसार मुझे निम्नलिखित स्थानों में से एक स्थान पर इन्टरनेट कनेक्शन के प्रयोजन से एक नया टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की व्यवस्था करें:-

- (क) दिल्ली या नई दिल्ली में मेरे आवास स्थित मेरे कार्यालय में; अथवा  
(ख) मेरे सामान्य निवास स्थान पर; अथवा  
(ग) मेरे निर्वाचन क्षेत्र या राज्य में मेरी पसंद के किसी स्थान पर; अथवा  
(घ) मेरे निवास के राज्य में;

- (i) फोन लगाए जाने का स्थान : मकान नं० \_\_\_\_\_  
कस्बा/ग्राम \_\_\_\_\_  
ताल्लुका/तहसील \_\_\_\_\_  
जिला \_\_\_\_\_  
राज्य \_\_\_\_\_
- (ii) निकटतम टेलीफोन एक्सचेंज का नाम \_\_\_\_\_
- (iii) सड़क मार्ग द्वारा निकटतम एक्सचेंज से अनुमानित दूरी \_\_\_\_\_
- (iv) यह स्थान ऊपर बताए गए स्थानों में से (क), (ख), (ग), (घ) है।

मैं, उपरोक्त टेलीफोन के संबंध में राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा नियमानुकूल अनुमेय अधिकतम निःशुल्क कालों से अधिक काल करने के लिए डाक-तार विभाग को देयराशि का भुगतान करने का वचन देता हूँ। इस प्रकार देय राशि को मेरे वेतन अथवा मेरे द्वारा या मेरी ओर से तैयार किए जाने वाले यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के बिलों से काट लिया जाए।

भवदीय,

(संसद सदस्य के हस्ताक्षर)  
परिचय पत्र संख्या \_\_\_\_\_